दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

ज़मानत आवेदन 1909/2020

सुरक्षित :- 21/12/2021

निर्णय की तिथिः- 05/01/2022

निम्न मामले मेः-

सुश्री एम (अवयस्क) ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आशीष कुमार व श्री ज़ीशान इस्कन्दरी, अधिवक्तागण।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य व अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री संजीव सभरवाल, राज्य के अति.लो.अभि.
श्री जान मोहम्मद, प्रत्यर्थी सं. 2 के अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

निर्णय

<u>न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी</u>

1. वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 सहपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के तहत याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता की ओर से दायर की गई है, जिसमें विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-06, विशेष न्यायालय (पॉक्सो), शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एससी संख्या 274/19 में पारित दिनांक 19.08.2020 के आदेश, जिसके द्वारा भा.दं.सं. की धारा 376/506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत पीएस ज्योति नगर, दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी संख्या 127/2019 में प्रत्यर्थी संख्या 2/अभियुक्त को नियमित ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था, का विरोध किया गया है।

2. श्री आशीष कुमार, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 को ज़मानत बाहरी कारणों से दी गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि बाल पीड़ित ने आरोप लगाया था कि अपराध करने के बाद, प्रत्यर्थी सं. 2 ने उसे पुलिस में घटना की सूचना न देने की धमकी दी थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि बाल पीड़ित की मां का अभी परीक्षण किया जाना है।

विद्वत अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दायर ज़मानत आवेदनों को पहले संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2019 और दिनांक 13.08.2019 को दो बार खारिज कर दिया गया था और एक तीसरा ज़मानत आवेदन दिनांक 18.08.2020 को दायर किया गया था, जो पहली बार दिनांक 19.08.2020 को सूचीबद्ध किया गया था, जिस तारीख को प्रत्यर्थी सं. 2 को नियमित ज़मानत दी गई थी। उन्होंने इस आधार पर उपरोक्त आदेश की भी आलोचना की कि यह दिनांक 21.04.2018 से प्रभावकारी दंड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 439 के आदेश के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 40 के अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2019 को जारी प्रैक्टिस निर्देश संख्या 67/रूल्स/डीएचसी का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि ज़मानत आवेदन की सुनवाई के समय, हालांकि जांच अधिकार के साथ याचिकाकर्ता की मां वी.सी. कार्यवाही में शामिल हुई थीं, तथापि, वह, याचिकाकर्ता

के अधिवक्ता होते हुए, टेक्निकल कारणों से शामिल नहीं हो सके थे। इस संबंध में संबंधित न्यायालय के रीडर को संदेश भेजे गए और फोन किया गया। उसी दिन, शाम 4.15 बजे, रीडर को एक ई-मेल भी भेजा गया था जिसमें संबंधित न्यायालय के समक्ष उसमें निहित जानकारी प्रस्तुत करने और आवश्यक निर्देश प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था।

उनकी दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 1389 के रूप में प्रकाशित** रीना झा व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य और **2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 629** के रूप में प्रकाशित सुश्री जी. (अव्यस्क) द्वारा उनके बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य व अन्य में निर्णयों का आश्रय लिया।

3. दूसरी ओर, श्री जान मोहम्मद, अभियुक्त/प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह प्रतिवाद किया गया कि प्रत्यर्थी सं. 2 लगभग 72 वर्ष का है और जब उसे आक्षेपित आदेश द्वारा ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश

दिया गया था, वह दिनांक 20.04.2019 से दिनांक 19.08.2020 तक हिरासत में रह चुका था। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि बाल पीड़ित के साथ-साथ संबंधित चिकित्सक का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है।

4. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने वर्तमान याचिका का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि बाल पीड़ित जांच के दौरान और साथ ही न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए अपने बयानों में एक समान रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि बाल पीड़ित की एमएलसी के अनुसार, योनिच्छद(हाइमन) को ताजा रूप से फटा हुआ पाया गया था। इसके अलावा, बाल पीड़ित की *कैपरी* को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया और उस पर पाए गए खून के धब्बे उसके खून से मेल खाते थे। विद्वत अति.लो.अभि. ने निर्देशों पर यह भी कहा कि बाल पीड़ित के अलावा संबंधित डॉक्टर और स्कूल के शिक्षक का भी परीक्षण किया गया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागम के साथ-साथ राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. को सुना है और आक्षेपित आदेश के साथ-साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख को भी देखा है।

6. प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी बाल पीड़ित की मां द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने बयान किया कि दिनांक 20.04.2019 को सुबह लगभग 10.00 बजे, जब उसकी बेटी खेलने के बाद लौटी, तो उसने उसकी *कैपरी* पर खून के धब्बे देखे। पूछने पर, उसे बाल पीड़ित द्वारा बताया गया कि वह अपनी मित्र 'एम' के घर पर खेलने गई थी, जहां उसकी मित्र के दादा ने उसे घर के अंदर बुलाया। वह उसे चिप्स देकर घर की सीढ़ी पर ले गया और वहां उसने अपनी उंगली उसके गुप्तांग में डाल दी। बाल पीड़िता ने अपनी मां को यह भी बताया कि पिछले दिन, यानी दिनांक 19.04.2019 को, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उसके साथ लगभग शाम के 07.00 बजे 'गलत काम' किया था।

घटना के समय बाल पीड़ित का लगभग 7 वर्ष की आयु का होना बताया गया है। एमएलसी के अनुसार, गुप्तांगों की जांच पर, *'योनि के मुख(वुल्वा) पर पुराने खून के छींटे योनिच्छद(हाइमन) का ताजा फटा होना'* देखा गया और *'पोस्ट-फोरशेटे '* फटा हुआ पाया गया। उक्त एमएलसी दिनांक

20.04.2019 को अपराह्न 03.25 बजे अर्थात दूसरी कथित घटना के दिन की गई थी।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में, बाल पीड़ित ने बताया कि प्रत्यर्थी सं. 2 उसे जबरन एक सीढ़ी पर ले गया था और कहा था कि वह उसे चिप्स देगा। वहां पहुंचने पर, उसने अपनी उंगली उसके गुप्तांग में डाल दी, जिससे खून बह गया। आगे यह कहा गया कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने बच्ची को धमकी दी थी कि अगर उसने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया तो वह उसे मार डालेगा और यह कि उसने पहले भी इसी तरह का कृत्य किया था।

8. विचारण के दौरान, बाल पीड़ित का अभि.सा. 3 के रूप में परीक्षण किया गया है। उसने प्रत्यर्थी सं. 2 की अभियुक्त व्यक्ति के रूप में विधिवत पहचान की और गवाही दी कि वह उसे एक सीढ़ी पर ले गया था यह कहते हुए कि वह उसे चिप्स देगा। उसने आगे गवाही दी कि उसने अपनी उंगली उसके गुप्तांग में डाली थी और अपनी मां को इस घटना के बारे में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसने यह भी गवाही दी कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने पहले भी इसी तरह का कार्य किया था।

प्रतिपरीक्षण में, बाल पीड़ित ने इस सुझाव से इनकार किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और/या कि उसे गली की नाली में गिरकर चोट लगी थी। इस आशय के एक सुझाव कि वह अपनी मां के कहने पर झूठी गवाही दे रही है, से भी बाल पीड़ित ने इंकार कर दिया।

9. जांच और विचारण के दौरान बाल पीड़ित के बयानों के साथ-साथ उसकी एमएलसी को प्रथमदृष्टया देखने पर, यह न्यायालय प्रत्यर्थी सं. 2 को ज़मानत देने वाले आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए प्रवृत्त है, क्योंकि यह विकृति से ग्रस्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत टिकने वाला नहीं है।

10. तदनुसार, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है और दिनांक 19.08.2020 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी सं. 2 को दी गई नियमित ज़मानत की रियायत वापस ली जाती है। जमानतपत्र रद्द कर दिए जाते हैं और प्रत्यर्थी सं. 2 को संबंधित जेल प्राधिकारी के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

11. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें ऊपर वर्णित कोई भी बात मामले के गुणागुणों पर अभिव्यक्ति की श्रेणी में नहीं आएगी क्योंकि टिप्पणियां केवल प्रथमदृष्टया हैं और वर्तमान याचिका को निपटाने के लिए की गई हैं।

12. इस आदेश की एक प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाए।

(मनोज कुमार ओहरी)
न्यायाधीश

05 जनवरी, 2022
एनए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*